भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 757
दिनांक 23 जुलाई, 2026

पश्चिम एशिया में संघर्ष का एलपीजी की आपूर्ति और कीमतों पर प्रभाव

†757. **श्री ईश्वरस्वामी के.:**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का देश में पोत परिवहन मार्गों में व्यवधान, माल ढुलाई लागत और आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव सहित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के आयात पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले राजसहायता वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या में कमी की है और यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं;
(ग) इस संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों, माल ढुलाई शुल्क और बीमा लागत में कितनी वृद्धि हुई है और इसका घरेलू एलपीजी कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और
(घ) सरकार द्वारा देशभर में एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक भंडार का रखरखाव, आयात स्रोतों का विविधीकरण और आपूर्ति संभरण को सुदृढ़ करने सहित क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) सरकार देश में आयात के माध्यम से आपूर्ति सहित एलपीजी की अविरल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय बाधाओं या भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए एलपीजी के आयात में विविधता लाने की कोशिश की जा रही है। एलपीजी की आपूर्ति करने वाले देशों की संख्या 10 से बढ़कर 15 हो गई है और अब विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों के कई आपूर्तिकर्ताओं से एलपीजी मंगाई जा रही है। इस कार्यनीति के अनुसार, पीएसयू ओएमसी ने अमेरिका से लगभग 2.2 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) एलपीजी आयात करने के लिए अनुबंध किया है, जो देश की कुल एलपीजी आयात आवश्यकताओं का लगभग 10% है। यह पारंपरिक खाड़ी क्षेत्र के बाहर एलपीजी आपूर्ति का एक भरोसेमंद वैकल्पिक स्रोत बनाकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।

ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने और आपूर्ति से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए, सरकार लगातार उन खतरों की निगरानी करती है और उनका आकलन करती है जिनसे एलपीजी की आपूर्ति में रुकावट आ सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) भी अंतरराष्ट्रीय शिपिंग, माल ढुलाई और आपूर्ति की स्थितियों पर लगातार नज़र रखती हैं और देश भर में एलपीजी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित

करने के लिए आवश्यक अधिप्राप्ति और रसद प्रबंधन के उपाय करती हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, घरेलू एलपीजी आपूर्ति में कोई बड़ी रुकावट नहीं आई है।

(ख) से (घ) सरकार पीएमयूवाई परिवारों को किफायती स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के साथ ही निर्धारित राजसहायता मे सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2025-26 में पीएमयूवाई परिवारों द्वारा एलपीजी की खपत के रुझान के आधार पर, वार्षिक राजसहायता वाले रिफिल की सीमा को 9 सिलेंडर से घटाकर 4 सिलेंडर कर दिया गया है, जबकि राजसहायता को 300 रुपये प्रति सिलेंडर पर बनाए रखा गया है।

देश में एलपीजी का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्यो से जुड़ा हुआ है। सरकार घरेलू एलपीजी के लिए उपभोक्ता को मिलने वाली प्रभावी मूल्य को नियंत्रित करती रहती है।

जब जून 2026 में औसत साऊदी सीपी (एलपीजी का मूल्य निर्धारित करने का अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) यूएस 796/एमटी (प्रीमियम को छोड़कर) था, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बाजार-निर्धारित कीमत (एमडीपी) 1,695 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुँच गई थी। हालाँकि, घरेलू एलपीजी का खुदरा बिक्री मूल्य 942 रुपये प्रति सिलेंडर पर बनाए रखा गया है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए, 300 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित राजसहायता के बाद जुलाई 2026 में प्रभावी मूल्य 642 रुपये प्रति सिलेंडर है।

10.58 करोड़ पीएमयूवाई परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ के रूप में 300 रुपये प्रति सिलेंडर की राजसहायता प्राप्त होती है। संशोधित ढांचे का उद्देश्य कमजोर परिवारों के लिए सहायता और बेहतर रुप से लक्षित, वित्तीय विवेक और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को लगातार अपनाने के बीच संतुलन बनाना है।

फरवरी 2026 में मध्य पूर्व में संघर्ष शुरू होने से पहले, भारत अपनी एलपीजी खपत का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता था, जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता था। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने संघर्ष शुरू होने के बाद एलपीजी की आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। इनमें एलपीजी के घरेलू उत्पादन में तेजी से वृद्धि, घरेलू एलपीजी खपत को प्राथमिकता देना, आयात के स्रोतों में विविधता लाना, गतिशील स्टॉक प्रबंधन और स्थानीय स्तर पर कमी से निपटने के लिए अंतर-क्षेत्रीय और क्षेत्र-वार आवंटन शामिल हैं।

सरकार ने आपूर्ति और मांग, दोनों तरफ कई सुधार वाले कदम उठाए हैं जिनमे रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में बुकिंग का समय बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन करना और आपूर्ति के लिए कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है।

मौजूदा संकट की स्थिति को देखते हुए आरंभिक दिनों में राज्य सरकारों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को विनियमित किया गया था। प्रगतिशील रूप में इनमें ढील दी गई है। सरकार ने अब गैर-घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर लगी सभी क्षेत्र-वार पाबंदियां हटा दी हैं और आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर पुनर्स्थापित कर दिया है। इसके अलावा, संकट के शुरुआत में बंद की गई बल्क एलपीजी की आपूर्ति भी पुनर्स्थापित कर दी गई है जिसे व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत देते हुए संकट से पहले की खपत के स्तर का 50% कर दिया गया है।
